पारादीप पोर्ट हार्बर क्रा ट रूल्स १९६७

जीएसआर ९८०- इंडियन पोर्ट एक्ट, १९०८ (१९०८ का १५) की धारा ६ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल से केंद्र सरकार एतद्द्वारा पारादीप पोर्ट के लिए नि नलिखित पारादीप पोर्ट हार्बर क्रा ट रूल्स तैयार करता है, जो उक्त खंड-६ की उपधारा (२) की आवश्यकतानुसार पूर्व में प्रकशशित हो चुके हैं, नामत:

१ लघु शीर्षक एवं एप्लीकेशन:

(१) इन नियमों को पारादीप पोर्ट हार्बर क्रा ट रूल्स १९६७ का नाम दिया जा सकता है।

(२) ये पारादीप पोर्ट में लागू होंगे।

२ परिभाषाएं:

इन नियमों में, जब तक ये संदर्भगत हैं, जरूरी होगा -

(ए) 'डिप्टी कंजरवेटर' से आशय पारादीप पोर्ट के डिप्टी कंजरवेटर से होगा

(बी) 'फॉर्म' से आशय ऐसा फॉर्म जो इन नियमों में जोड़ा गया है।

(सी) 'हार्बर क्रा ट' से आशय लकड़ी के गट्ठों को बांधकर बनाए गए बेड़े से है, जो किसी कारगो, यात्री या अन्य नाव के लिए किराए पर लिया गया हो, जो किराए पर हो या नहीं, मोटर चालित हो या नहीं, नियमित चल रहा हो या मौका-बे-मौका या आंशिक रूप से पोर्ट क अंदर या आंशिक रूप से बाहर

(डी) 'इनर हार्बर' से आशय पोर्ट के उस हिस्से से है जो को-ऑर्डिनेट प्लसटू के नॉर्थ, नॉर्थ-ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है और जिसमें टर्निंग बेसिन, ओर बर्थ आर्म और कोई भी भविष्य आर्म ड्रेज्ड शामिल होता है तथा उसे समय-समय पर विकसित किया जाता है।

(ई) 'लाइसेंस्ड हार्बर क्रा ट' से आशय ऐसा कोई भी हार्बर क्रा ट जो नि नलिखित नियमों के अधीन लाइसेंसप्राप्त है:

(एफ) 'मोटर बोट' से आशय ऐसी कोई भी मोटर चालित हाबर क्रा ट से है जिसे पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी भी तरह की भाप से इतर किसी बिजली या मैकेनिकल पावर से चलाया जाता है।

(जी) 'आउटर हार्बर' से आशय उस एप्रोच एंड एंट्रेंस चैनलों से है, जो को-ऑर्डिनेट प्लसटू और को-ऑडिनेट (- ४०) के बीच स्थित हों

(एच) 'ओनर' का इस्तेमाल हार्बर क्रा ट समेत किसी भी आंशिक मालिक, एजेंट या उसके कब्जे वाले कब्जाधारक से है

(आई) 'पोर्ट' से आशय परादीप से है

(जे) 'रोड्स' से आशय पोर्ट के उस हिस्से से है जो को-ऑर्डिनेट-१२०० पर एप्रोच चैनल के साथ समुद्र की ओर खोंची गई लाइन से है।

(के) 'सरवेंट' का इस्तेमाल मालिक के संदर्भ में होता है जिसमें नाविक या खवनहार शामिल रहता है

(एल) 'स्टीम बोट' से आशय ऐसे हार्बर क्रा ट से है जिसे पूर्णतया या आंशिक रूप से भाप के साथ खोंचा जाता है

(एम) 'टिंडल' में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल होता है जो हार्बर क्रा ट का प्रभारी हो।

३ लाइसेंसप्राप्त होगा हार्बर क्रा ट: कोई भी व्यक्ति चाहे वह मालिक हो, खवनहार हो या नौकर, किसी भी हार्बर क्रा ट का इस्तेमाल पोर्ट के भीतर सामान, या यात्री को किसी जहाज तक पोर्ट में यहां से वहां तब तक नहीं ले जा सकता जब तक कि हार्बर क्रा ट इन नियमनों के अधीन बाकायदा लाइसेंसप्राप्त न हो।

बशर्ते कि इस नियम के अधीन ऐसा कुछ भी शामिल नहीं हो :

(ए) कोई भी नौका जो जहाज या स्टीमर के उपकरण का हिस्सा हो

(बी) ऐसी कोई हार्बर क्रा ट जो केवल और केवल मौज-मस्ती के लिए ही बनाई गई हो

(सी) पोर्ट से संबंधित नौका

आगे बशर्ते यह भो कि डिप्टी कंजरवेटर चाहें तो, यदि उसकी नजर में उपयुक्त हो तो, इन नियमों के अीधन क्लॉज (ए) या क्लॉज (बी) में संदर्भित किसी नौका या हार्बर क्रा ट के मामले में।

४ हार्बर क्रा ट को लाइसेंस देना:

१) नियम-३ के अधीन किसी भी हार्बर क्रा ट के लिए लाइसेंस का आवेदन लिखित में डिप्टी कंजरवेटर के पास किया जाना चाहिए और उसमें नि नलिखित ब्यौरा शामिल होगा, नामत:

(क) मालिक का पूरा नाम और पता और यदि मालिक नाबालिग है तो वह अपने अभिभावकों का नाम-पता उसमें दर्ज करेगा।

(बी) मालिक की ओर से उसकी ओर से कामकाज हेतू उसके एजेंट का नाम-पता, यदि कोई है।

(सी) उस खवनहार का नाम जिसे मालिक हार्बर क्रा ट का प्रभार देने का इच्छुक है

(डी) उस लाइसेंस की प्रकृति यानी बताए जाए कि वह किसी यात्री नौका के लिए चाहिए या फिर किसी कारगो बोट के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से।

(ई) उसके आकार व अन्य संदर्ि ति ब्यौरे के संदर्भ में हार्बर क्रा ट का ब्यौरा

२) उप-नियम (१) के तहत लाइसेंस हेतू आवेदन प्राप्ति के बाद डिप्टी कंजरवटर हार्बर क्रा ट का सर्वे करेगा और उसका आकार नापेगा या उसके मालिक अथवा मालिक द्वारा इसी मकसद से नियुक्त किसी व्यक्ति की उपस्थिति में उसके सर्वेक्षण और नपाई कराए जाने क निर्देश देगा और उसके बाद नियम-२८ में वर्णित शुल्क क भुगतान के बाद फॉर्म-ए में लाइसेंस प्रदान कर देगा तथा इस बात से संतुश्ट हो जाने के बाद कि हार्बर क्रा ट समुद्र के लिए उपयोगी है और पोर्ट में सेवा देने के उपयुक्त है या हार्बर क्रा ट का सर्वे करने वाले अधिकारी द्वारा लिखित में जारी सर्टिफिकेट पेश किए जाने के उपरांत कि :

(क) हार्बर क्रा ट समुद्र के लिए उपयोगी है, समुचित ढंग से उपकरणयुक्त है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिहाज से समुचित ढंग से उपयुक्त है जिसके लिए उसके लिए लाइसेंस मांगा जा रहा है

(बो) वह हर परिस्थिति में कितनी सं या में लोगों को लाने या ले जाने में सक्षम है

(सी) ऐसी हार्बर क्रा ट के समुद्र में सुरक्षित संचालन के लिए उसे कितनी सं या में क्रू सदस्यों की जरूरत होगी

(डी) ऐसी हार्बर क्रा ट में लगाए गए उपकरण बेहतर स्थिति और हालत में हैं।

३) उप-नियम २ में वर्णित सर्वे और उसकी नपाई के उद्देश्य से मालिक अपनी हार्बर क्रा ट को ऐसे स्थान पर लाए जाने को कहेगा जहां डिप्टी कंजरवेटर उसे कह सकते हैं।

४) इन नियमों में प्रदत्त प्रावधानों के विषयाधीन फॉर्म-ए में सभी लाइसेंस ३१ मार्च को खत्म होने वाले वित्तवर्ष के लिए जारी किए जाएंगे।

५ नाबालिग और महिला मालिक:

यदि किसी क्रा ट हार्बर का मालिक नाबालिग या महिला है तो उसके अभिभावक द्वारा यह लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। यदि मालिक महिला है और यदि सामाजिक परंपराओं के तहत वह सामने नहीं आना चाहती तो लाइसेंस उसके द्वारा बाकायदा अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों में अभिभावक या एजेंट, जैसा भी मामला हो तो उसे इन नियमों के उद्दश्यों की पूर्ति की दिशा में उसका मालिक माना जाएगा।

६ मांगे जाने पर प्रस्तुत किए जाने वाले लाइसेंस, नियम आदि:

१) हर एक हार्बर क्रा ट का लाइसेंस खवनहार के पास होना चाहिए जो कभी भी डिप्टी कंजरवेटर द्वारा या इस मामले में उनकी आर से अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा देखने को मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

२) इन नियमों की प्रति और उनके क्रियान्वयन के संदर्भ में डिप्टी कंजरवेटर द्वारा जारी लिखित निर्देशों को भी मालिक द्वारा खवनहार को उपलब्ध कराने होंगे जो मांगे पर उनके किसी भी उत्तराधिकारी, माल भेजने वाले या यात्री को दिखा सके।

७ लाइसेंसप्राप्त हार्बर क्रा ट की विशेष नंबरिंग:

१) लाइसेंसशुदा हार्बर क्रा ट का मालिक उस पर काले रंग की पट्टी वाली पृष्ठभूमि में सफेद या पीले रंग से अंग्रेजी या हिंदी में उसके कुछ हिस्से पर यानी एक छोर से दूसरे दूसरे छोर की ओर जाता व लाइसेंस पर लिखा नंबर लिखगा या लिखवाएगा।

नियम-४ के अधीन ऐसा कोई व्यक्ति उपरोक्त ढंग से किसी ऐसे हार्बर क्रा ट पर, जो असल में लाइसेंसशुदा न हो, नंबर नहीं लिखगा या लिखवाएगा या उसे किसी अन्य ढंग से अंकित नहीं कराएगा जिससे देखने पर लगता हो कि वह क्रा ट लाइसेंसशुदा है।

८ लाइसेंसशुदा हार्बर क्रा ट के स्वामित्व या नियंत्रण में बदलाव:

यदि फॉर्म-ए में लाइसेंसधारक अपने हार्बर क्रा ट का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना चाहे तो उसका लाइसेंस ऐसे हस्तांतरण से छह दिन की अवधि पूरी हो जाने पर अमान्य हो जाएग। जहां ऐसा कोई भी लाइसेंसधारक अपने हार्बर क्रा ट को किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में देता है या उसके नियंत्रण में रख देता है तो ऐसा किए जाने से छह दिन की अवधि पूरी हो जाने पर अमान्य हो जाएग, बशर्ते उस लाइसेंस पर डिप्टी कंजरवेटर द्वारा मुहर लगवा ली जाए तो वह मान्य रहेगा क्योंकि उस सूरत में लाइसेंस का हस्तांतरण या कहीं अन्यत्र रखा जाना मायने नहीं रखगा।

९ हार्बर क्रा ट क्रू सदस्यों की सं या या ढोए जाने वाले यात्रियों की सं या में बदलाव की सूचना देनी होगी:

ए) जब भी हार्बर क्रा ट के लाइसेंस में कोई बदलाव किया जाता है जिससे उस पर दज ब्यौरे पर प्रभाव पड़ता हो तो ऐसे हर बदलाव की सूचना उसके मालिक द्वारा तत्काल डिप्टी कंजरवेटर को दी जानी होगी, बशर्ते ऐसा बदलाव उस समय किया गया हो जब हार्बर क्रा ट पोर्ट की सीमा से बाहर घूम रहा हो और जैसे ही वह लौट तो तत्काल उसकी सूचना दी जानी चाहिए।

बी) खवनहार में बदलाव या हार्बर क्रा ट में किया गया कोई बदलाव जिससे उसकी ढुलाई क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसे तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक कि उसकी सूचना न दे दी जाए और खवनहार बदले जाने पर उसे पहले डिप्टी कंजरवेटर के समक्ष पेश करना होगा।

ऐसी किसी भी सूचना और बदले गए खवनहार को पेश किए जाने पर, जैसा भी मामला हो तो डिप्टी कंजरवेटर मालिक के पास मौजूद लाइसेंस में संशोधन करेंगे और यदि खवनहार बदला गया है तो नियम-१० के अधीन रख गए रजिस्टर में भी संशोधन करना होगा।

सी) हार्बर क्रा ट की ढुलाई क्षमता में किसी बदलाव की सूरत में मलिक के पास मौजूद असल लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और हार्बर क्रा ट के नए सिरे से नपाई व सर्वेक्षण के बाद नया लाइसेंस जारी किया जाएगा और हार्बर क्रा ट को तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक नया लाइसेंस जारी नहीं हो जाता।

१० खवनहारों का पंजीयन:

१) किसी भी क्रा ट हार्बर को लाइसेंस जारी किए जाते समय लाइसेंस में दर्ज खवनहार का नाम और उससे संबंधित ब्यौरा एक ऐसे रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा जो फॉर्म-८ में डिप्टी कंजरवेटर द्वारा रहेगा।

२) डिप्टी कंजरवेटर द्वारा निर्धारित हर वर्ष के मार्च महीने में ऐसे हर एक हार्बर क्रा ट के मालिक को अपना खवनहार डिप्टी खवनहार के समक्ष पेश करना होगा ताकि उनके रजिस्टर में दर्ज उसके पूर्ण ब्यौरे की सच्चाई व उपयुक्तता जांची जा सके।

बशर्ते कि यदि ऐसा हार्बर क्रा ट उक्त निर्धारित तिथि पर पोर्ट से बाहर गया हुआ है तो मालिक उसके पोर्ट पर लौटने के २४ घंटों के भीतर अपने खवनहार को उनके समक्ष पेश करेगा।

३) किसी भी व्यक्ति को किसी लाइसेंसशुदा क्रा ट हार्बर पर नियुक्त या रोजगार नहीं दिया जा सकेगा यदि वह -

ए) नियम-२९ के अनुरूप ऐसे किसी क्रा ट हार्बर के लिए मास्टर या इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित अधिकारी नहीं है

बी) डिप्टी कंजरवेटर की राय में वह ऐसे किसी हार्बर क्रा ट चलाने या उसके इस्तेमाल से परिचित नहीं है

११ लाइसेंसशुदा हार्बर क्रा ट और उसके क्रू की विशेष एवं वार्षिक जांच:

लाइसेंस की नियत अवधि पूरी होने पर या उसके बाद हर एक लाइसेंसशुदा हार्बर क्रा ट का मालिक उसे उसके लाइसेंस सहित डिप्टी कंजरवेटर के समक्ष उनके द्वारा निर्धारित स्थान पर पेश करेगा। इस जांच-पड़ताल के अलावा, डिप्टी कंजरवेटर या उनकी ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विशेष या आंशिक जांच ऐसे समय पर कराई जा सकती है जो उनके द्वारा आवश्यक समझी गई हो। इस नियम के अधीन की जाने वाली सभी जांच-पड़ताल के दौरान हर एक हार्बर क्रा ट को अपने पूरे उपकरण और क्रू उपस्थित करने पड़ेंगे।

१२ लाइसेंसशुदा हार्बर क्रा ट की जांच के लिए मर मत के आदेश:

१) हर एक लाइसेंसशुदा हार्बर क्रा ट का मालिक उसकी ऐसी सभी मर मत कराएगा जो नियम-११ के अधीन संदर्भित जांच अधिकारी द्वारा उसके कामकाज को प्रभावित करने हेतू इंगित की गई होंगी और कोई भी मालिक या उसका अधिकृत व्यक्ति उस हार्बर क्रा ट का इस्तेमाल या संचालन नहीं कर या करा पाएगा जब तक कि उसकी खराबी को दुरुस्त नहीं करा लिया जाता और डिप्टी कंजरवेटर द्वारा उसे फिर से इस्तेमाल के आदेश न दे दिए जाएं। ऐसी मर मतों आदि के लिए हार्बर क्रा ट का मालिक उसे ऐसे स्थान या स्थानों पर ठीक कराएगा जो समय-समय पर डिप्टी कंजरवेटर द्वारा तट से दूर निर्धारित किए गए होंग।

२) किसी भी हार्बर क्रा ट के बॉयलर, मशीनरी आदि जैसी बड़ी मर मत डिप्टी कंजरवेटर द्वारा नियुक्त किसी इंजीनियर या शिप सर्वेयर की ही निगरानी में कराई जाएगी। ऐसे किसी भी हार्बर क्रा ट का मास्टर या मालिक मर मत शुरू होने से पहले डिप्टी कंजरवेटर को इतनी पर्याप्त राशि सौंपेगा जिसमें उस इंजीनियर या शिप सर्वेयर की फीस शामिल हो।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के उद्देश्य से, हार्बर क्रा ट की मशीनरी में कराए जाने वाला कोई जरूरी काम बड़ी मर मत है या नहीं, इस बात का फैसला डिप्टी कंजरवेटर ही करेंगे।

३) उप-नियम (२) में संदर्भित फीस का आकलन नि नलिखित पहलुओं के आधार पर होगा, नामत:

फीस का स्तर

(१) जिस जहाज का सकल वजन २५ टन से अधिक न हो : ६०

(२) जिस जहाज का सकल वजन २५ टन से अधिक हो लेकिन ५० टन से अधिक नहीं : ७५

(३) जिस जहाज का सकल वजन ५० टन से अधिक हो लेकिन ७५ टन से अधिक नहीं : ९०

(४) जिस जहाज का सकल वजन ७५ टन से अधिक हो लेकिन १०० टन से अधिक नहीं : १०५

(५)जिस जहाज का सकल वजन १०० टन से अधिक हो लेकिन ३०० टन से अधिक नहीं : १३५

(६) जिस जहाज का सकल वजन ३०० टन से अधिक हो लेकिन ६०० टन से अधिक नहीं : १३५५

(७) जिस जहाज का सकल वजन ६०० टन से अधिक हो लेकिन ९०० टन से अधिक नहीं : १५०

(८) जिस जहाज का सकल वजन ९०० टन से अधिक हो लेकिन १२०० टन से अधिक नहीं : १८०

(९) जिस जहाज का सकल वजन १२०० टन से अधिक हो : १८०

इसके अलावा, हर एक ३०० टन या १२०० टन से अधिक के उसके हर एक अंश पर ३० रुपए

४) इस मामले में उप-नियम (२) के तहत संदर्भित खर्च का निर्धारण केंद्र सरकार के सामान्य या विशेष निर्देशों के अधीन होगा।

१३ लाइसेंसशुदा हार्बर क्रा ट के कामकाज पर नियंत्रण:

१) हर एक लाइसेंसशुदा हार्बर क्रा ट का मालिक डिप्टी कंजरवेटर द्वारा निर्धारित व लाइसेंस में लिखो गइ सं या में क्रू सदस्य व उपकरण उपलब्ध कराएगा। हार्बर क्रा ट का खवनहार अच्छे या खराब मौसम के दौरान लाइसेंस में वर्णित सं या से अधिक या कम सं या में क्रू नहीं बैठाएगा जिसके साथ वह उसे चलाता है और न ही वह लाइसेंस में वर्णित सं या में यात्रियों या सामान से अधिक को रखगा।

२) पोर्ट की सीमा में चलाए जा रहे हर एक लाइसेंसशुदा हार्बर क्रा ट पर उतनी ही सं या में जीवन-तारणों को बैठाना होगा जो डिप्टी कंजरवेटर द्वारा पर्याप्त और किस्म के उचित ठहराए गए हों। ऐसा हर एक हार्बर क्रा ट अतिरिक्त रूप में ऐसे जीवन तारण उपकरण उठाएगा जो डिप्टी कंजरवेटर द्वारा आवश्यक करार दिए गए होंगे। हार्बर क्रा ट में सवार ऐसे सभी जीवन तारक और उपकरण अच्छे से बांधकर रख जाएंगे ताकि वह उस पर सवार लोगों की सुविधाजनक पहुंच में हों।

३) यात्रियों को ढोने के लिए लाइसेंसप्राप्त हर एक हार्बर क्रा ट को इस तरह तैयार करना होगा कि वहां हर एक यात्री के बैठने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो और वहां साइड वदर स्क्रीन भी लगाई जाएगी जहां आवश्यक हो ताकि यात्रियों को धूप व खराब मौसम से बचाया जा सके।

४) पोर्ट की सीमा में कार्यरत और यात्रियों को ढोने वाले किसी लाइसेंसशुदा हार्बर क्रा ट में क्रू सदस्यों की सं या का निर्धारण डिप्टी कंजरवेटर अपनी विवेकाधीन शक्तियों के साथ करेगा।

५) यदि किसी लाइसेंसशुदा हार्बर क्रा ट का मालिक पूरी सं या में यात्री ढोने का इच्छुक नहीं या वह इसके लिए तैयार नहीं या उसे पर्याप्त सं या में जीवन रक्षक उपकरण उठाना अव्यवहारिक लगता हो तो डिप्टी कंजरवेटर तदनुरूप यात्रियों की सं या सीमित कर सकता है और लाइसेंस में इस बात को उल्लेखित कर सकता है।

१४ पोर्ट पर यातायात को बाधित करना:

१) किसी भी लाइसेंसशुदा हार्बर क्रा ट पर कार्यरत क्रू सदस्य या कोई खवनहार किसी अन्य लाइसेंसशुदा हार्बर क्रा ट के लोडिंग या संबंधित सेवाओं के कामकाज में रुकावट नहीं डालेगा या न ही पोर्ट पर कार्यरत किसी जहाज के कामकाज में अड़चन पैदा करेंगे।

२) किसी खवनहार को उसके प्रभार वाले लाइसेंसशुदा हार्बर क्रा ट को पोर्ट में मुक्त आवाजाही आदि के दौरान रुकावट डालने की अनुमति नहीं होगी।

१५ समुद्र में टकराव से बचाव के संदर्भ में गठित प्रावधानों का अनुपालन- मर्चेंट शिपिंग नियमन- १९६५ (समुद्र में टकराव से बचाव) के दायरे मं:

जो सभी लाइसेंसशुदा हार्बर क्रा ट काम पर होंगे तो उन्हें मर्चेंट
शिपिंग रेगुलेशंस १९६५ के (समुद्र में टकराव से बचाव) प्रावधानों
का अनुपालन करना होगा।

१६ कानून स मत तर्क के बिना चलने से इनकार:

यदि नियमित रूप से भाड़े पर चलने वाले किसी लाइसेंसशुदा हार्बर

क्रा ट मालिक या उसका प्रभारी खवनहार बिना वाजिब कारण के चलने से इनकार कर दे तो नियम-२७ में डिप्टी कंजरवेटर के विषयाधीन प्रदत्त अपील के मामले में वही एकमात्र फैसला लेने वाले अधिकारी होंगे, ऐसे हाबर क्रा ट का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

१७ रात के समय और खराब मौसम में लाइसेंसप्राप्त हार्बर क्रा ट की कार्य प्रणाली:

ए) कोई भी लाइसेंसप्राप्त हार्बर क्रा ट बाहरी सड़कों पर नहीं दौड़ेगा जैसे-

१) डिप्टी कंजरवेटर की पूर्वानुमति लिए बिना शाम ६.०० बजे से सुबह ६.०० बजे के बीच

२) जब पोर्ट लैग स्टाफ की ओर से खराब मौसम या समुद्री तूफान की चेतावनी संकेत जारी किए गए हों

बी) जब क्लॉज ए के सब-क्लॉज में संदर्भित संकेत को पोर्ट लैग स्टाफ द्वारा फहराया जाए तो बाहरी सड़कों पर चल रहे सभी हार्बर क्रा टों को तत्काल पोर्ट के अंदरूनी हिस्से में लौटना पड़ेगा और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक डिप्टी कंजरवेटर की अनुमति लिए बिना वे बाहरी सड़कों पर नहीं जाएंगे।

१८ लाइसेंसप्राप्त हाबर क्रा ट में निर्धारित ढुलाई की सीमा:

१) कोई भी व्यक्ति लाइसेंसप्राप्त हार्बर क्रा ट में संबंधित नियमों एवं शर्तों के तहत निर्धारित सीमा से अधिक यात्री, पशु या अन्य सामान आदि नहीं ढोएगा

२) किसी भी लाइसेंसप्राप्त हार्बर क्रा ट का खवनहार उसमें तब तक कोई पशु नहीं ढोएगा, जब तक उसकी सतह पर रेत या घास-फूस आदि बिछाकर उसे समतल या नरम न कर लिया गया हो और जब तक इस संबंध में डिप्टी कंजरवेटर द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं की पूर्ति न करा ली गई हो।

३ यदि किसी लाइसेंसप्राप्त हार्बर क्रा ट में पशुओं को लाद लिया गया है तो फिर किसी सामान या यात्री की ढुलाई उसमें नहीं की जाएगी।

४ पशुओं के अलावा यदि किसी लाइसेंसप्राप्त हार्बर क्रा ट में यात्रियों और सामान आदि को एक-साथ ढोया जाना हो तो ऐसा केवल मशीनी या ऊर्जा चालित लाइसेंसप्राप्त हार्बर क्रा ट में ही किया जा सकता है।

१९ ओवरलोडिंग रोकने हेतू खवनहार की शक्तियां:

जब भी किसी लाइसेंसप्राप्त हार्बर क्रा ट में यात्रियों की सं या या सामान की मात्रा लाइसेंस में प्रदत्त सीमा से अधिक हो जाए तो उसका खवनहार जहाज या तट से चलना शुरू करने से पूर्व अतिरिक्त यात्री या यात्रियों को उसमें से उतर जाने को कहेगा या माल प्राप्त करने वालों या उसके संबंधित एजेंट को उसमें से कुछ माल या पूरा माल उतारने को बोलेगा।

२० खवनहारों के लिए कुछ संकेतों पर ध्यान देना आवश्यक:

प्रत्येक लाइसेंसप्राप्त हार्बर क्रा ट का मालिक उसके खवनहार को यह निर्देश देगा कि वह मास्टर लैग, चार समानांतर लाल रेखाओं सहित चौकोर नीले झंडे, जिस डिप्टी कंजरवेटर द्वारा नियम-२ के अधीन जांच-पड़ताल में बताए गए अनुसार पोर्ट लैग स्टाफ पर प्रदर्शित किया जाएगा, इन सभी बातों पर उसे तत्काल ध्यान देना होगा।

२१ एंकर से पूर्व आते जहाजों के साथ या मूरिंग में लाइसेंसप्राप्त हार्बर क्रा ट दखलंदाजी नहीं करेंगे। किसी लाइसेंसप्राप्त हार्बर क्रा ट का प्रभारी या उसका चालक उसे किसी भी मूरिंग या चिन्हित स्थल पर ले जाने का प्रयास नहीं करेगा और न ही किसी जहाज के एंकर पर आने या मूरिंग से पूर्व, उसके साथ लेकर नहीं जाएगा।

२२ मछली पकड़ने वाली नौकाओं को कारगो बोट के समीप जाने या जहाज के समीप जाने की अनुमति नहीं होगी:

१) किसी लाइसेंसप्राप्त कारगो बोट के प्रभारी या चालक को फिशिंग बोट को १० गज के भीतर उसके निकट जाने की अनुमति नहीं होगी जब वह कारगो बोट किसी जहाज और तट के बीच दौड़ रही हो।

२) किसी लाइसेंसप्राप्त कारगो बोट के प्रभारी या चालक को माल ढोने या उतारते समय जहाज के समीप जाने की अनुमति नहीं होगी।

३) यदि किसी लाइसेंसप्राप्त हार्बर क्रा ट को डिप्टी कंजरवेटर द्वारा उप-नियम (१) या (२) के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो वह :-

ए) उसका लाइसेंस रद्द कर सकते हैं

बी) लापरवाही बरतने वाले खवनहार को किसी भी लाइसेंसप्राप्त हार्बर क्रा ट पर किसी भी तरह के कामकाज पर नहीं रख जाने के निर्देश दे सकते हैं और उसका नाम भी खवनहारों के रजिस्टर में से काट दिया जाएगा।

४ यदि उप-नियम-३ के क्लॉज (बी) के अधीन डिप्टी कंजरवेटर द्वारा प्रदतत दिशा-दिर्देशों का उल्लंघन करते हुए किसी हार्बर का ट का मालिक किसी ऐसे लापरवाह खवनहार को काम पर रखता है तो वह उक्त मालिक के सभी या किसी भी लाइसेंस को रद्द कर सकते हैं।

२३ पोर्ट के भीतर यात्रियों और माल को उतारना और जहाज में लादना:

सभी यात्रियों और माल को कंजरवेटर द्वारा निर्धारित पोर्ट की सीमा के भीतर स्थलों पर ही उतारा जाएगा और कोई भी व्यक्ति यात्रियों और सामान को उन स्थानपें से बाहर तब तक नहीं उतारेगा जब तक कि पोर्ट और कस्टम विभाग के अधिकारियों से पूर्वानुमति न ले ली गई हो।

२४ हार्बर क्रा ट का किराया–भाड़ा:

किसी भी लाइसेंसप्राप्त हार्बर क्रा ट का मालिक उसके खवनहार या कोई क्रू मैंबर, जो उसमें यात्री बैठाने का लाइसेंस हासिल किए है, या उसके मालिक द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति यात्रियों से कंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किराया–भाड़ा से अधिक शुल्क नहीं वसूलेगा या न ही यात्रियों से ब शीश ही किसी तरह की उ मीद रखगा या मांगेगा।

२५ दोषी ठहराए गए खवनहार आदि को रोजगार पर पाबंदी:

यदि लाइसेंसप्राप्त हार्बर क्रा ट का कोई खवनहार या क्रू मैंबर इन नियमों के प्रावधानों में से किसी का उल्लंघन का दोषी पाया गया है तो डिप्टी कंजरवेटर द्वारा दिए सुझाव पर उसका मालिक उसे खवनहार या क्रू मैंबर को काम से हटा देगा।

२६ लाइसेंस का खंडन करना:

यदि डिप्टी कंजरवेटर की राय में किसी लाइसेंसप्राप्त हार्बर क्रा ट का मालिक इन नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो किसी अन्य कार्रवाई से इतर मालिक के सभी या कोई एक लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

२७ डिप्टी कंजरवेटर के निर्णय पर अपील:

डिप्टी कंजरवेटर के फैसले के संदर्भ में कोई अपील पोर्ट कंजरवेटर के अधीन की जाएगी, जो उनके फैसले से ७ दिनों के भीतर लिखित में करनी होगी जिसकी सूचना संबंधित पक्ष या पक्षों को भी देनी होगी जहां पार्ट कंजरवेटर का ही फैसला अंतिम होगा।

२८ शुल्क:

हार्बर क्रा ट को लाइसेंस प्रदान करने के संदर्भ में सर्वेक्षण और जांच के संबंध में देय शुल्क नि नलिखित रूप में होगा–

प्रदत्त सेवा	**नौकाएं**	**डोंगी**	**बेड़े**	**ऊर्जाचालित क्रा ट**
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
(१) लाइसेंस जारी करना	२.००	१.००	१.००	२५.००
(२) लाइसेंस में संशोधन या किसी अन्य ब्क्ति के नाम लाइसेंस को हस्तांतरित करना	१.००	१.००	१.००	१.००
(३) असल लाइसेंस गुम होने/कहीं छोड़ दिए जाने/लौटा दिए जाने पर नया लाइसेंस जारी करह्वाना	२.००	१.००	१.००	२.००
(४) खवनहार का पंजीयन	१.००	१.००	१.००	१.००
(५) खवनहार के पंजीयन में संशोधन	१.००	१.००	१.००	१.००
(६) प्रत्येक सर्वेक्षण और नसाई हेतू	५.००	२.००	२.००	५०.००
(७) वार्षिक पड़ताल	३.००	१.००	१.००	५०.००
(८) विशेष पड़ताल	३.००	१.००	१.००	५०.००

२९ इन नियमों के अधीन लाइसेंसप्राप्त स्टीम बोट और मोटर बोट पर लागू विशेष प्रावधान:

(१) इन नियमों के अधीन प्रत्येक लाइसेंसप्राप्त स्टीम बोट, जो किराए पर किसी अन्य रूप में चलाई जा रही हैं उन पर नि नलिखित प्रमाणित अधिकारियों को तैनात करना होगा:

१) यदि उसमें १०० एनएचपी क्षमता से कम का इंजन लगा हो।

ए) उसका मास्टर यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास इनलैंड स्टीम वैसल्स एक्ट १९१७ (१९१७ का १) के अधीन प्रदत्त प्रथम श्रेणी क मास्टर्स सर्टिफिकेट या मर्चेंट शिपिंग एक्ट १९५८ (१९५८ का ४४) के अधीन या समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा ऐसे नियमनों के अधीन वर्णित मास्टर्स सर्टिफिकेट अथवा मास्टर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी और

बी) उसका इंजीनियर ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास उक्त एक्टों य नियमनों में से किसी के अधीन प्रदत्त इंजीनियर्स सर्टिफिकेट हो

(२) जिसका इंजन १०० एनएचपी से कम लेकिन ४० एनएचपी से कम न हो।

ए) उसका मास्टर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास इनलैंड स्टीम वैसल्स एक्ट १९१७ (१९१७ का १) या क्लॉज (१) के उप-क्लॉज (ए) में प्रदत्त अनुसार वैसा ही कोई सर्टिफिकेट और

बी) उसका इंजीनियर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास इनलैंड स्टीम वैसल्स एक्ट १९१७ (१९१७ का १) के अधीन प्रदत्त प्रथम श्रेणी का इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट या मर्चेंट शिपिंग एक्ट १९५८ (१९५८ का ४४) के अधीन प्रदत्त इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट या समय-समय पर केंद्र सरकार के नियमनों के अधीन कोई सर्टिफिकेट या क्लॉज (१) के उप-क्लॉज (बी) में संदर्भित कोई अन्य सर्टिफिकेट हो।

बशर्ते कि ऐसी किसी नौका को तब इस क्लॉज के अनुरूप माना गया हो यदि उस पर ऐसा व्यक्ति तैनात हो जिसके पास उप-क्लॉज (ए) और उप-क्लॉज बी संबंधी दोनों सर्टिफिकेट हों और -

(३) यदि उसमें ४० एनएचपी क्षमता से कम का इंजन लगा हो-

ए) उसका मास्टर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास इनलैंड स्टीम वैसल्स एक्ट १९१७ (१९१७ का १) के अधीन सीरेंग सर्टिफिकेट हो या क्लॉज (२)के उप-क्लॉज (ए) में सदर्भित कोई अन्य सर्टिफिकेट हो, और

उसका इंजीनियर ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास इनलैंड स्टीम वैसल्स १९१७ (१९१७ का १) के अधीन दूसरे दर्जे का इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट हो या क्लॉज (२) के उप-क्लॉज (बी) में संदर्भित ऐसा कोई अन्य सर्टिफिकेट हो।

बशर्ते कि किसी नौका को तब इस क्लॉज के अनुरूप माना जाएगा जब उस पर सब-क्लॉज (ए) और (बी) में संदर्भित दोनों सर्टिफिकेट हों।

२ इन नियमों के अधीन प्रत्येक लाइसेंसप्राप्त मोटर बोट, जो किराए पर किसी अन्य रूप में चलाई जा रही हैं उन पर नि नलिखित प्रमाणित अधिकारियों को तैनात करना होगा:

१) यदि उसमें ५६५ बीएचपी क्षमता से कम का इंजन लगा हो।

ए) उसका इंजीनियर यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास इनलैंड स्टीम वैसल्स एक्ट १९१७ (१९१७ का १) के अधीन मोटर इंजीनियर्स सर्टिफिकेट या मर्चेंट शिपिंग एक्ट १९५८ (१९५८ का ४४) के अधीन या समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा ऐसे नियमनों के अधीन प्रदत्त प्रथम या द्वितीय श्रेणी में इंजीनियर ऑफ ए सीगोइंग मोटरशिप की डिग्री हो।

बी) उसका मास्टर यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास इनलैंड स्टीम वैसल्स एक्ट १९१७ (१९१७ का १) के अधीन प्रदत्त प्रथम श्रेणी में मास्टर्स सर्टिफिकट या मर्चेंट शिपिंग एक्ट १९५८ (१९५८ का ४४) के अधीन या समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा ऐसे नियमनों के अधीन वर्णित मास्टर्स सर्टिफिकेट अथवा मास्टर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी हो।

२- यदि उसमें ५६५ बीएचपी से कम क्षमता वाला इंजन लगा है लकिन २२६ बीएचपी से कम नहीं है :-

ए) उसमें बतौर इंजीनियर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास इनलैंड स्टीम वैसल्ज़ एक्ट १९१७ (१९१७ का १) के तहत प्रदत्त प्रथम श्रेणी का मोटर इंजन

ड्राईवर सर्टीफिकेट हो या मर्चेंट शिपिंग एक्ट १९५८ (१९५८ का ४४) के अधीन प्रदत्त इंजन ड्राईवर ऑफ सीगोईंग मोटरशिप का सर्टीफिकेट अथवा समय समय पर केन्द्र सरकार के नियमनों के अधीन वर्णित या क्लॉज़ (१) के उपक्लॉज़ (ए) में संबर्भित ऐसा कोई सर्टीफिकेट हो, और

बी) यदि इंजनों का इस्तेमाल प्रणोदन में किया जा रहा है तो उस के मास्टर के पास इनलैंड स्टीम वैसल्ज़ एक्ट १९१७ (१९१७ का १) के अधीन

प्रदत्त द्वितीय श्रेणी का मास्टर्ज़ सर्टीफिकेट या क्लॉज़ (१) के उपक्लॉज़ (बी) में वर्णित ऐसा कोई सर्टीफिकेट हो।

३- यदि उसमें २२६ बीएचपी से कम क्षमता वाला इंजन लगा है तो :-

ए) उस में बतौर इंजीनियर ऐसा व्यक्ति होगा जिस के पास इनलैंड स्टीम वैसल्ज़ एक्ट १९१७ (१९१७ का १) के अधीन प्रदत्त द्वितीय श्रेणी का मोटर ईंजन ड्राईवर्स सर्टीफिकेट या क्लॉज़ (२) के सब-क्लॉज़ (बी) में वर्णित अनुसार ऐसा कोई सर्टीफिकेट हो।

बी) यदि इंजनों का इस्तेमाल प्रणोदन में किया जा रहा है तो उसके मास्टर के पास इनलैंड स्टीम वैसल्ज़ एक्ट १९१७ (१९१७ का १) के अधीन प्रदत्त सीरैंज सर्टीफिकेट या क्लॉज़ (२) के सबक्लॉज़ (बी) में वर्णित ऐसा कोई सर्टीफिकेट हो।

बशर्ते कि मोटर बोट में यदि ४० बीएचपी से ज्यादा क्षमता वाला इंजन नहीं लगा तो वहां ऐसा व्यक्ति इंजीनियर हो सकता है जिस के पास केन्द्र सरकार द्वारा या केन्द्र सरकार द्वारा उसकी और से अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा प्रदत्त परमिट हो।

बशर्ते यह भी कि जिस मोटर बोट में २० बीएचपी से ज्यादा क्षमता वाला इंजन नहीं लगा है और जिसकी ल बाई ३० फुट से ज्यादा नहीं है तो उसका मास्टर और इंजीनियर वह व्यक्ति हो सकता है जिस के पास उपक्लॉज (ए) और (बी) में संदर्भित दोनों सर्टीफिकेट हों।

बशर्ते यह भी कि जिस मोटर बोट में २० बीएचपी से ज्यादा क्षमता वाला इंजन नहीं लगा है और जिसकी ल बाई ३० फुट से ज्यादा नहीं है जिसका इस्तेमाल विशेष रूप से उसके मालिक, उसके परिवार या उसके मित्रों द्वारा मौज मस्ती और मनोरंजन के लिये किया जाता है तो नहां किसी सर्टीफिकेट प्राप्त मास्टर या इंजीनियर की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे उसका मालिक या केन्द्र सरकार अथवा उसक किसी विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रदत्त परमिट प्राप्त व्यक्ति चला सकता है।

३- जो व्यक्ति पोर्ट में १ अप्रैल १९६६ को दो वर्ष की अवधि तक स्टीम बोट या मोटर बोट पर मास्टर, सेरंग, इंजीनियर या इंजन ड्राईवर के रूप में काम कर चुका हो, लेकिन उसके पास उपनियम (१) या उपनियम (२) के अधीन जरूरी सर्टीफिकेट ऑफ क पीटैंसी न हो, तो मामला जैसा भी हो, तो मास्टर या सेरंग के मामले में डिप्टी कंजरवेटर द्वार और इंजीनियर या इंजन ड्राईवर के मामले में मकैनीकल सुप्रीटैंडैंट द्वारा इस आशय का सर्टीफिकेट दिया जा सकता है कि उसके इस अनुभव के आधार पर वह नि नलिखित शुल्क का भुगतान कर के परीक्षा दिये बिना पोर्ट इलाके में ऐसी कोई स्टीम बोट या मोटरबोट पर बतौर मास्टर, सेरंग, ईंजीनियर या इंजन ड्राईवर का काम करने में सक्षम है।

	रुपए
प्रथम श्रेणी का मास्टर्ज़ सर्टीफिकेट	१६
द्वितीय श्रेणी का मास्टर्ज़ सर्टीफिकेट	६
सेरंग सटीफिकेट	४
द्वितीय श्रेणी का इंजन ड्राईवर या	
द्वितीय श्रेणी का मोटर इंजन ड्राईनर सर्टीफिकेट	४
प्रथम श्रेणी का इंजन ड्राईवर या	
प्रथम श्रेणी का मोटर इंजन ड्राईनर सर्टीफिकेट	१०
इंजीनियर्स या मोटर इंजीनियर्स सर्टीफिकेट	१२

४. विशेष परिस्थितियों में केन्द्र सरकार :-

ए)-स्टीम बोट या मोटर बोट की किसी भी श्रणी को उपनियम (१) या (२) की आवश्यकताओं से, जैसा भी मामला हो, छूट दे सकती है।

बी)- ऐसी नौकाओं पर तैनात किये जाने वाले अधिकारियों के लिये आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण कर सकती है। ३० (१) इन नियमों के अधीन प्रत्येक मोटर बोट में सैंड बॉक्स और आग बुझाने हेतु समुचित क्षमता वाला मान्यताप्राप्त ब्रांड का आग्नि शमन यंत्र उपलब्ध कराना होगा और उसका मालिक इसे ऑयल रि यूज़ से मुक्त रखगा।

(२) इन नियमों के अधीन लाईसैंस प्राप्त सभी मोटर बोट जो पोर्ट इलाके में शोर शराबा करते हुये चलते हैं उनमें प्रभावशाली साईलैंसर लगाने होंगे।

३१. लाईसैंस प्राप्त हार्बर क्रा ट का डूबना :-

पोर्ट इलाके में डूब जाने वाली किसी भी लाईसैंस प्राप्त हार्बर क्रा ट का मालिक तत्काल डिप्टी कंजरवेटर को दुर्घटना स्थल सहित उसके बारे में सूचित करेगा।

फॉर्म-ए

(नियम ४ (२) देखें)

..... लंबी और ..... चौड़ी और ..... गहरी, ... टन वजन तक जहाजों पर लादने या और पारादीप पोर्ट से (पशुओं के अलावा और/यात्रियों या मवेशियों को अधोप्रदत्त पारादीप पोर्ट हार्बर क्रा ट रूल्स, १९६७ में वर्णित दंड के विषयाधीन प्रतिबंधों सहित) नि नलिखित सीमा तक उतारने/ढोने हेतू पंजीकृत नौका के मालिक ..... को लाइसेंस प्रदान किया जाता है :-

पंजीयन की तिथि	व्हार्बर क्रा ट का नाम, सं या और विवरण	रिग एंड उपकरण	कहां और कब बनी	आखरी बार कब मर मत हुई और कहां हुई	बिना यात्रियों के कारगो		कारगो के बिना यात्रियों की सं या	क्रू की सं या	नौका के मालिकों या मालिकों का विवरण			नौका के खवरहार का विवरण		लाइसेंस के प्रभावी रह्हने की अवधि	टिप्पणी
					पशुओं की सं या और अनुमानित वजन	पशुओं के अलावा कारगो का वजन			नाम या नामों	धंधा	आवास स्थान या आवास के स्थान	नाम	आवास का पता		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
					अच्छे मौसम में खराब मौसम में	अच्छे मौसम में खराब मौसम में	अच्छे मौसम में खराब मौसम में	अच्छे मौसम में खराब मौसम में							

तिथि .... नोट: १२ वर्ष से कम उम्र के २ बच्चे - १ वयस्क पंजीयन प्राधिकारी

तक विस्तारित .....

वही वही वही वही वही वही वही वही वही वही	
खवनहार में परिवर्तन की मुहर	

फॉर्म ८

(नियम १० देखं)

पारादीप पोर्ट पर २० वर्षों से कार्यरत खवनहारों

का नाम, आयु, आवास स्थान और हस्ताक्षर/अंगूठे

का निशान

पंजीयन की तिथि	ह्वार्बर क्रा ट का नंबर	नाम	आयु			आवास सर्नि	हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (अशिक्षित होने पर)	टिप्पणी
			वर्ष	महीने	दिन			

.....

.....

(सं या ११ जीपी (११)/६६)

के.एल. गुप्ता

अवर सचिव

.....

नोट: पारादीप पोर्ट हार्बर क्रा ट रूल्स, १९६७, को भारतीय गजट में जीएसआर सं या-९८० के जरिये दिनांक २४.०६.१९६७ में प्रकाशित

किया गया था।